न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4455–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–12–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 145/अपील/2009–10.

नारायण सिंह पिता रतनसिंह राजपूत
निवासी ग्राम अनारद तहसील व जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

अहिल्याबाई पिता स्व0 हीरालाल
निवासी ग्राम अनारद तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदक

श्री ओ0 पी0 शर्मा एवं श्री टी0 टी0 गुप्ता अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 23 दिसम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 4–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका अहिल्याबाई द्वारा तहसीलदार, धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अनारद तहसील एवं जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 36, 83/1, 98/1, 126, 139/1, 140/1, 206/1, 251/1, 259 एवं 371/1 कुल सर्वे नंबर 10 रकबा कमशः 2.883, 3.333, 0.651, 0.291, 3.086, 3.238, 1.694, 0.139, 0.238, 0.178 कुल रकबा 15.531 हैक्टेयर

पैत्रिक भूमि होकर आवेदक एवं अनावेदिका के पिता हीरालाल के शामिल खाते की भूमि है । उसके पिता हीरालाल का दिनांक 19–9–2008 को स्वर्गवास हो गया है और वह स्वर्गीय हीरालाल की एक मात्र वारिस है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर हीरालाल के स्थान पर अनावेदिका का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–6/2008–09 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । एक अन्य आवेदन पत्र आवेदक नारायणसिंह द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसकी एवं उसके भाई हीरालाल की संयुक्त भूमि ग्राम अनारद में कुल सर्वे नंबर 10 कुल रकबा 15.531 हैक्टेयर है । चूँकि हीरालाल का स्वर्गवास हो चुका है और उसकी संतानों में एक मात्र पुत्री अहिल्याबाई है, अतः उनका नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम किया जाकर आवेदक का नाम रहने दिया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दोनों प्रकरणों को एक साथ संलग्न कर दिनांक 16–7–2009 को आदेश पारित करते हुये संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमियों से मृतक हीरालाल का नाम कम किया जाकर आवेदक नारायण सिंह का नाम यथावत रखा गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–11–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई एवं निर्देश दिये गये कि अनावेदिका चाहे तो स्वत्व के संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकती है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–12–2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये तथा तहसीलदार, धार को निर्देश दिये गये कि प्रश्नाधीन भूमियों पर मृतक हीरालाल के स्थान पर अनावेदिका अहिल्याबाई का नामांतरण किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त ने दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश जो कि तथ्यात्मक समवर्ती आदेश की श्रेणी के होते है, को बिना किसी आधार के धारा 44 (2) के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है । जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चत्तम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह अवधारित किया है कि तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष जब तक परिवर्तित नहीं किये जा सकते जब तक कि तथ्यों में घोर अनदेखा प्रगट होता है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा मात्र इस आधार पर अपील स्वीकार की गई कि मृतक हीरालाल एवं नारायण सिंह के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ था और संयुक्त भूमि थी, ऐसी स्थिति में संयुक्त भूमि के संबंध में वसीयत नहीं की जा सकती है । इस संबंध में दो न्याय दृष्टांत जो कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेखित किये हैं, लागू नहीं होते । क्योंकि ऐसी कोई आपत्ति रेस्पान्डेन्ट की ओर से किसी भी न्यायालय में नहीं उठाई न ही अधीनस्थ अपर आयुक्त के न्यायालय में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा आपत्ति उठाई गई है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में 1995 जेएलजे पृष्ठ कमांक 477 का हवाला देते हुये यह उल्लेखित किया गया है कि जब तक संयुक्त संपत्ति का बंटवारा न हो तब तक वसीयत का निष्पादन नहीं किया जा सकता, किन्तु उक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में यह स्पष्ट रूप से न्याय दृष्टांत दिया है कि धारा 30 हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 में अपना हित रखने वाले व्यक्ति को वसीयत लिखने का अधिकार है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय दृष्टांत को बिना पढ़े, बिना समझे मनमाना अर्थ लगाते हुये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेश को निरस्त करने में गंभीरतम भूल की है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा यह भी त्रुटि पूर्ण रूप से ठहराया है कि वसीयत को प्रमाणित नहीं किया है, जबकि अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष वसीयत के गवाह शंकरसिंह पिता सरदार सिंह जो कि स्वंय स्व0 हीरालाल के बुआ का लड़का है और स्व0 हीरालाल एवं नारायण सिंह का रिश्ते में भाई लगता है एवं कन्हैयालाल जो कि दादी के काका का लड़का है । दोनों की गवाही से वसीयत को प्रमाणित किया है ।

(5) वसीयत के दोनों ही साक्षी ने उनके समक्ष हीरालाल जी के द्वारा वसीयत निष्पादित होना बताया है एवं उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिसमें वसीयत में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होती हो । इस संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार ने अपने आदेश में अतिविशिष्ट तथ्यों को उजागर किया है एवं वसीयत किस प्रकार से प्रमाणित पाई गई है, इसको भी अपने न्याय निर्णय में कथन किया है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदिका के इस कथन पर कि "यह सही है कि जब मैं शादी होकर चली गई तब नारायण जी ही मेरे पिता की सेवा चाकरी करते थे । समस्त कार्यक्रम भी नारायण जी ने किये थे । नारायण जी मुझे अपनी पुत्री समान रखते थे और उन्होनें रूपये 5,00,000/– भी मेरे नाम बैंक में जमा कराये है । इस तथ्य को भी अनावेदक ने मंजूर किया है कि उसके पिता हीरालाल जी अंगूठा लगाते थे और प्रदर्श डी–2 के गवाह शंकरलाल को वह जानती है । वह उसके पिता के बुआ के लड़के है और कन्हैयालाल जी दादी के काका का छोटा लडका है और यह दोनों ही उसके घर अनारद उसके पिता के घर आते थे, बिना विचार किये आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय में हुये साक्ष्य पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है । जबकि अपीलार्थी द्वारा वसीयत को पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया था जो धारा 63 (सी) सक्सेशन एक्ट एवं धारा 68 एवीडेन्स एक्ट के तहत प्रमाणित की गई थी ।

तर्क के समर्थन में 2008 पार्ट–1 एमपीएलजे पृष्ठ 425, एआईआर 1995 सु0को0 1684 एवं 2086 एवं 1995 जेएलजे 477 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रकरण दिनांक 4–12–2014 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा निर्धारित अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ आवेदक नारायण सिंह एवं स्वर्गीय हीरालाल के संयुक्त स्वामित्व की भूमियॅा है । इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि अनावेदिका अहिल्याबाई स्वर्गीय हीरालाल की एक मात्र पुत्री होकर एक मात्र वारिस है।

तहसीलदार द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया है, परन्तु इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि एक ओर तो आवेदक प्रश्नाधीन भूमियों पर नामांतरण किये जाने बाबत अनावेदिका का सहमति स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है । वहीं दूसरी ओर अपंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत कर रहा है और आवेदन पत्र में वसीयतनामें के आधार पर नामांतरण की मांग नहीं कर, अनावेदिका के सहमति शपथ पत्र के आधार पर नामांतरण की मांग कर रहा है । जो कि स्वच्छ हाथों से की गई कार्यवाही परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा साक्ष्य से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि स्वर्गीय हीरालाल जो कि उसके भाई थे उसके पास रहते थे । अनावेदिका अहिल्याबाई का पालन पोषण एवं विवाह उसके द्वारा किया गया है और उसे 5,00,000/– रूपये भी दिये गये है । इस संबंध में विचारणीय प्रश्न है कि यदि आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा था तब उसे सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी और अनावेदिका को 5,00,000/– रूपये देने की क्या आवश्यकता थी, इस स्थिति पर भी तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। यह भी विचारणीय है कि यदि उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित होता तब वह वसीयतनामें के आधार पर नामांतरण की मांग करता । आवेदन पत्र में सहमति शपथ पत्र का उल्लेख है, जो कि दिनांक 13–10–2008 को निष्पादित कराया गया है और बाद में दिनांक 17–10–2008 को अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन भूमियों पर स्वर्गीय हीरालाल के स्थान पर नामांतरण की मांग की गई है । ऐसा परिलक्षित होता है कि वसीयतनामा निष्पादन आवेदक की बाद की सोच है । अतः ऐसे वसीयतनामें को प्रमाणित मानकर उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा आवेदक का नामांतरण करने में विधि एवं न्याय की गंभीर उपेक्षा की गई है और तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । चूँकि स्वर्गीय हीरालाल की एक मात्र वारिस अनावेदिका है इसलिये उसका नामांतरण किये जाने के निर्देश देने में भी अपर आयुक्त द्वारा उचित

कार्यवाही की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, क्योंकि यदि समवर्ती निष्कर्ष विधि विपरीत हो तो उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है । आवेदक का यह तर्क अपने स्थान पर उचित है कि संयुक्त भूमि के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित किया जा सकता है, परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि स्वर्गीय हीरालाल द्वारा वसीयतनामा निष्पादन संदेह से परे सिद्ध नहीं है, इसलिये यह आधार इस प्रकरण के निराकरण के लिये उचित नहीं है । आवेदक की ओर से उठाया गया यह आधार भी मान्य योग्य नहीं है कि अनावेदिका द्वारा स्वंय स्वीकार किया गया है कि स्वर्गीय हीरालाल आवेदक के पास रहते थे और आवेदक द्वारा अनावेदिका को 5,00,000/–रूपये दिये गये है तथा वसीयतनामें के साक्षियों को वह पहचानती है, इस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । कारण अनावेदिका द्वारा उपरोक्त स्वीकृति दिये जाने से भी उसे प्रश्नाधीन भूमियों पर उसके हक से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर